E-mail: upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council

Phone : 0522-2287025
0522-4306795

# उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

**शीर्ष प्राथमिता / समयबद्ध**

पत्रांक : मेमो / रा0उ0शि0प0 / 15 / 2020
दिनांक : 05 जून, 2021

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–142 / सत्तर–3–2021–08(35) / 2020टी.सी.1 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे तथा सभी प्रकोष्ठों की संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी।

2– उक्त के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रर्दशित करने संबंधी सूचना दिनांक 07 जून, 2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई0मेल आई0डी0 *upshec@gmail.com* पर **MS Word File** एवं **PDF File** (**Kruti Dev** 016 **Font** में) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उपरोक्त से संबंधित सूचना समयबद्ध तिथि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

05.6.21

डॉ0 (आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

पत्रांक : /रा0उ0शि0प0/ / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन / सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवगतार्थ।

डॉ0(आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध।

संख्या–142/सत्तर–3–2021–08(35)/2020टी.सी.1

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2– कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊः दिनॉकः 15 जनवरी, 2021

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एंव उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,

15/1

( मोनिका एस. गर्ग )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 142 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

( हरेन्द्र कुमार सिंह )
उप सचिव।

| क्रमांक | प्रकोष्ठ का नाम | कार्य |
|---|---|---|
| 1 | उद्योग–अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and Skill Development Cell) | • माध्यमिक, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना<br>• व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों की पहचान करना<br>• व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंटर्नशिप के लिये MoU करना<br>• कौशल विकास के लिये स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना<br>• स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना<br>• छात्रों को आनलाईन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना<br>• क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना<br>• क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना<br>• संस्था के समझौता–ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना<br>• संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता–ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना<br>• समझौता–ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना |
| 2 | ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell) | • संस्था में उ0प्र0 ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरुप विभिन्न कार्य करना<br>• विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत कराना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना<br>• संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना<br>• संस्था के समस्त कार्यालयी कार्यों को डिजिटल माध्यम से कराना<br>• पुस्तकालय में प्री–लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना<br>• संस्थान में ई–लर्निंग पार्क की स्थापना करवाना<br>• अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई–सुविधा केन्द्र की स्थापना करना जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24x7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके<br>• ई–सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यों की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके<br>• ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना |
| 3 | शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell) | • शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना<br>• शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना<br>• शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं |

| | | |
|---|---|---|
| | | अर्न्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना<br>• भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना |
| 4 | अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development cell) | • उच्च गुणवत्ता के शोध हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना<br>• शिक्षकों/विद्यार्थियों को शोध योजना बनाने में मदद करना<br>• विभिन्न प्रकार की शोध अनुदान योजनाओं से शिक्षकों/विद्यार्थियों को अवगत कराना<br>• शोध हेतु उद्योगों/अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अनुबन्ध करना<br>• राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय शोध करना<br>• शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना |
| 5 | संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ<br>Institutional Development Plan (IDP) Cell | • संस्था के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto15 years) पर आधारित " संस्थागत विकास योजना" तैयार करना<br>• संस्था की IIC स्थापित करना<br>• भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप संस्था का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरुप कार्य करना<br>• संस्था का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना<br>• संस्थान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यांकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरुप सतत् मूल्यांकन करना<br>• संस्था का NIRF में प्रतिभाग कराना |
| 6 | एक्टिविटी क्लब<br>(Activity-Club) | • संस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करना तथा संस्था के छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना।<br>• संस्था के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना<br>• सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना<br>• संस्थान द्वारा किसी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना<br>• पर्यावरण जागरुकता एवं संरक्षण अभियान चला कर विद्यार्थियों/स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करना<br>• संस्था की वार्षिक ग्रीन आडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाईट पर प्रदर्शित करना<br>• संस्था के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री–साईक्लिंग आदि ) के उपाय करना<br>• संस्था के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना<br>• विद्यार्थी भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ<br>(Indian Language, Culture and Arts Cell) | • क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना<br>• क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना<br>• क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना<br>• क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना<br>• भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना<br>• छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना |
| 8 | अंर्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ<br>(International students Cell) | • अर्न्तराष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना<br>• सरकार द्वारा अंर्तराष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना<br>• अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना<br>• वेबसाईट पर अंर्तराष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना |
| 9 | दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ<br>Cell for differently abled students and SEDGs | • वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना<br>• वंचित समूहों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना<br>• वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना<br>• दिव्यांगों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना<br>• संस्था में दिव्यांग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना<br>• दिव्यांगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना |
| | | • दिव्यांगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना |
| 10 | मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ<br>(Mentoring and Counselling cell) | • संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना<br>• मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना<br>• प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेंन्टर नियुक्त करना<br>• संस्था की मेंन्टर–मेंन्टी पॉलिसी तैयार करना<br>• छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना<br>• छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना<br>• छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना |

E-mail: upshec@gmail.com,
Website :www.uphed.gov.in/council

Phone : 0522-2287025
0522-4306795

# उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 429/रा0उ0शि0प0/15/2020
दिनांक : 05 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
5. उप निदेशक,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

COE
A.R(Acad)
A.R(Affi)

विषय : शैक्षिक सत्र 2021–22 के नियमन आदि से सम्बन्धित वर्चुअल मीटिंग दिनांक 27–09–2021 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (श्रीमती सोनिका एस0 गर्ग) की अध्यक्षता में दिनांक 27–09–2021 को वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था। उक्त मीटिंग में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के नियमन के अतिरिक्त, सीटों में वृद्धि, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना, कौशल विकास, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) फन्डस आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

उक्त वर्चुअल मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा अद्यावधिक स्थिति से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को ईमेल आई0डी0 **upshec@gmail.com** पर अवगत कराने का कष्ट करें।

6-10-21

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय
05/10/21
डॉ0(आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

पत्रांक : —/रा0उ0शि0प0/—/— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवगतार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. गार्ड फाइल।

डॉ0(आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव

# अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल मीटिंग दिनांक 27.09.2021 का कार्यवृत्त

दिनांक 27.09.2021 को श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के नियमन, इसके लिए अतिरिक्त शिक्षण, सीटों की वृद्धि, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना, कौशल विकास एवं रूसा फन्ड्स के संबंध में वर्चुवल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कुलसचिव, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारीगण उपस्थित थे।

वर्चुअल बैठक के आरंभ में महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1– शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन:–

शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार भौतिक कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जायं एवं प्रथम सेमेस्टर की परीक्षायें जनवरी–फरवरी, 2022 में सम्पन्न करा ली जाय। सेमेस्टर हेतु निर्धारित 90 शिक्षण दिवस ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में पूर्ण किये जाने की कार्ययोजना विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार कर ली जाय। तदुपरांत द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्यत: शैक्षणिक कैलेण्डर 2021–22 के अनुसार सम्पन्न करायी जाएं ताकि अगला शैक्षिक सत्र नियमित हो सके।

इस वर्ष से सम्बद्धता की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया है। इसकी तिथि 30 सितम्बर तक के लिये बढ़ा दी गयी है। कुलपतिगण द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सम्बद्धता संबंधी प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण निर्धारित तिथि तक कर लिया जाय। कोई भी प्रकरण लम्बित न रखा जाय। तकनीकी बिन्दुओं पर तत्काल एनआईसी से संम्पर्क किया जाना चाहिए।

सीटों में वृद्धि के लिये जो आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, उनका निरीक्षण कराकर नियमानुसार निस्तारण शीघ्र करें, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक दिवसों की हानि न हो।

शैक्षणिक कैलेण्डर में मिड–टर्म परीक्षाओं का शेड्यूल दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनके प्रभावी एवं सफल आयोजन हेतु कार्ययोजना बनाकर अपने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें।

2– रूसा फन्ड्स का उपभोग :–

रूसा के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की समीक्षा करके यथाशीघ्र 70 प्रतिशत धनराशि का उपभोग करके उसका उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय, ताकि भारत सरकार से अगली किस्त की मांग की जा सके। भारत सरकार द्वारा रूसा फेस–III प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके लिए औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

जीरो बैलेन्स एकाउन्ट खोलने की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर ली जाय। उसी के आधार पर भारत सरकार द्वारा अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं विश्वविद्यालय स्तर पर जीरो बैलेंस एकाउन्ट खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की समीक्षा की जाए।

रूसा खाते में अर्जित ब्याज की गणना करके शासन को सूचित किया जाय।

रूसा के अन्तर्गत लगभग 90 से अधिक कालेजों में इन्फ्रास्ट्रचर अपग्रेड किये गये एवं स्मार्ट क्लासरूम बनवाये गये हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अगले 15 दिनों में रूसा अच्छादित इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का व्यक्तिगत भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग सम्यक प्रकार किया जा रहा है। इसकी जनपदवार/मण्डलवार सूचना शासन को 12 अक्टूबर 2021 तक प्रेषित करें।

3– <u>रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना</u>:–

विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत 50–50 प्रतिशत ग्राण्ट प्रदान की जानी है। निदेशक, उच्च शिक्षा एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को प्रयास करना होगा एवं अच्छे महाविद्यालयों को चिन्हित करके उनसे रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के प्रस्ताव उपलब्ध कराने होंगे। इसके अतिरिक्त कुलपतिगण अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों का जनपदवार वेबिनार करके शिक्षकों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दें सकते है कि वे किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करें।

विज्ञान विषय के अतिरिक्त भाषा, लोक–कलाओं, स्थानीय उद्योग, हस्तकला तथा अन्य समसामायिक विषयों पर भी प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं।

4– <u>NEP 2020 के अनुरूप कौशल विकास हेतु कार्यवाही</u>:–

कौशल विकास पर उच्च शिक्षण संस्थाओं को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0, इंजीनियरिंग कालेज एवं स्थानीय उद्योगों के साथ एम0ओ0यू0 करना होगा। यह एम0ओ0यू0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ही नहीं, अपितु उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा भी होने हैं। इस संबंध में कृत कार्यवाही एवं आगामी कार्ययोजना पर अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय 30 अक्टूबर तक प्रेषित करेंगे।

5– समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर किए गए प्रस्तुतीकरण को उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्तर पर दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 तक प्राप्त कर संकलित कर लिया जाय।

6–समस्त राज्य विश्वविद्यालय ABACUS एवं DigiLocker के संबंध में की गई कार्यवाही पर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें।

7– प्रतिभागियों द्वारा निम्नवत् वेबिनार आयोजित किए जाने का सुझाव/अनुरोध किया गया जिस पर अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा सहमति दी गई कि निम्नांकित कुलपति महोदय वेबिनार के आयोजन हेतु यथाशीघ्र तिथियाँ इंगित करें–

| | | |
|---|---|---|
| मिड–टर्म परीक्षाएं – | MJPRU बरेली | – माह अक्टूबर |
| CBCS का क्रियानवयन – | DDUGU गोरखपुर | – माह अक्टूबर |
| प्रश्नपत्रों का निर्माण – | GLAU मथुरा | – माह नवम्बर |
| नैक मूल्यांकन – | CSJMU कानपुर | – माह नवम्बर |
| संघटक महाविद्यालय – | LU लखनऊ / RMLAU अयोध्या | – माह दिसम्बर |

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0 / ~~सम्ब0~~ परी0 / 2021 / 5956

दिनांक :– 12-11-/2021

## कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 को स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में लागू किए जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके कियान्वयन की सूचना विश्वविद्यालय के पत्रांक: बु0वि0 / सम्ब0 / 2021 / 4139 दिनांक: 10.11.2021 द्वारा समस्त महाविद्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त व्यवस्था को सभी को व्यावहारिक रूप से अवगत कराने हेतु आदेशानुसार दिनांक: 13 / 11 / 2021 को सायं 03:00 बजे एक ऑनलाइन बैठक Cisco Webex app के माध्यम से आहूत की गयी है, जिसकी अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय द्वारा की जाएगी।

उक्त व्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के समन्वयक प्रो0 एस0पी0 सिंह, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष–भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा दी जायेगी। उक्त से सम्बन्धित किसी प्रकार की जिज्ञासा का शमन प्रो0 सिंह द्वारा किया जाएगा।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अनुदानित, राजकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य / प्राचार्या से अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने नामिती के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन माध्यम से बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

**नोट– बैठक में प्रतिभाग करने हेतु लिंक की मीटिंग न0 25125469565 एवं पासवर्ड bu12345 है।**

(राजबहादुर)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रो0 एस0पी0 सिंह, समन्वयक टास्क फोर्स
2. प्राचार्य / प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन)
4. डॉ0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉगिन पर अपलोड करना एवं बैठक की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. आशुलिपिक (कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक / वित्त अधिकारी)।

12-11-21

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक :13 जुलाई, 2021

स० कु० (एकेडमिक)
14.7.21

1. कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यक्रम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनांक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. **न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)**
   - 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।
   - 1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगें, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।
   - 1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–**
एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0ए0ड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)**- यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

## 5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

## 6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)**

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरस) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना (Research Project)**

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत मे दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

## 10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

## 11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी ( Time table )

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

( मोनिका एस.गर्ग )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

( अब्दुल समद )
विशेष सचिव।

## 14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

| | | Subject I | Subject II | Subject III | Subject IV | Vocational | Co-Curricular | Industrial Training/ Survey/ **Research Project** | **{Minimum Credits}** For the year | **{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Major | Major | Major | Minor Elective | Minor | Minor | Major | | |
| | | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 3 Credits | | 4 Credits | | |
| Year | Sem. | Own Faculty | Own Faculty | Own/ Other Faculty | Other Subject/ Faculty | Vocational/ Skill Development Course | Co-CurricularCourse (Qualifying) | Inter/Intra Faculty related to main Subject | | |
| 1 | I | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 46 | {46} Certificate in Faculty |
| | II | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | | |
| 2 | III | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 46 | {92} Diploma in Faculty |
| | IV | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | | |
| 3 | V | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | 40 | {132} Bachelor in Faculty |
| | VI | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | | |
| 4 | VII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | 1 (4/5/6) | | | 1 (4) | 52 | {184} Bachelor (Research) in Faculty |
| | VIII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 5 | IX | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | 48 | {232} Master in Faculty |
| | X | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 6 | XI | 2 (6) | 1 Research (4)Methodology | | | | | 1 (Qualifying) | 16 | {248} PGDR in Subject |
| 6,7,8 | XII-XVI | | | | | | | Ph. D. Thesis | | Ph.D. in Subject |

**Note:Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical**

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

## सूचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियांवयन हेतु विश्वविद्यालय में गठित प्रकोष्ठ प्रभारी की बैठक दिनांक 16/06/2021 को अपरान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में आहूत की गई है।

अतः निम्नलिखित सदस्यो से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में सम्मिलित होने का कष्ट करें।

1. प्रो० एस०पी० सिंह – आचार्य, भूगर्भ विज्ञान विभाग–अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ
2. प्रो० अपर्णा राज – आचार्य, होटल प्रबन्धन विभाग– संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ
3. प्रो० सुनील कादिया – आचार्य, होटल प्रबन्धन विभाग–एक्टिविटी क्लब
4. प्रो० पूनम पुरी – आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग–शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
5. प्रो० एस०के० कटियार – आचार्य, फूडटैक विभाग–उद्योग अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ
6. प्रो० आर०के० सैनी – आचार्य, गणितीय एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग–दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूल सहायता योजना प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ
7. प्रो० अर्चना वर्मा – आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग– मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श
8. प्रो० अवनीश कुमार – आचार्य, गणितीय एवं कम्प्यू० अनु० विभाग–ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS
9. प्रो० वी०के० सिंह – आचार्य, भूगर्भ विभाग–अन्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ
10. डॉ० पुनीत विसारिया – सहआचार्य, हिन्दी विभाग–भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव

## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

पत्रांक–बु०वि०/एके०/2021/5740 दिनांक:–14/06/2021

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी-284128, उत्तर प्रदेश (भारत)

# Bundelkhand University, Jhansi-284128, UP (INDIA)

सात दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स

विषय :

उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 का क्रियान्वयन

आयोजन कर्ता :

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

झाँसी (उत्तर प्रदेश)

तिथि : 17-23 मार्च-2021

समय : अपराह्न 10:45 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक

**Seven Days Refresher Course**

**Subject:**

**Implementation of National Education Policy 2020 in Higher Education**

**Organized by:**

**Bundelkhand University**

**Jhansi, (Uttar Pradesh)**

**Date: 17-23 March-2021**

**Time: 10:45 AM to 02:15 PM**

**"उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 का क्रियान्वयन"**

**"Implementation of National Education Policy 2020 in Higher Education"**

## रिपोर्ट

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन विषय पर सात दिनों के रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन 17 से 23 मार्च 2021 तक सफलतापूर्वक किया। विश्वविद्यालय परिसर और इसके सभी संबद्ध कॉलेज शिक्षकों के लिए इस रिफ्रेशर कोर्स का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में शिक्षकों को अवगत कराया और उच्च शिक्षा संस्थानों में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गहन विचारविमर्श किया गया है। सात दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में लगभग एक हज़ार पंजीकरण हुए है परन्तु लगभग 600 शिक्षकों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की| रिफ्रेशर कोर्स में शिक्षकों द्वारा रुचि लेने से सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन और कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में जानने और समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। निकट भविष्य में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की योजना बनाते समय, पाठ्यक्रम सहित इस नीति के विभिन्न प्रावधान के बारे में शिक्षकों की प्रतिक्रिया विश्वविद्यालय

प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी रहा। सभी सत्र ऑनलाइन आयोजित किए गए, और सभी शिक्षकों को ख्याति प्राप्त विद्वानों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबद्ध प्रसिद्ध विशेषज्ञों के व्याख्यान कराए गए और वैबगोष्ठी के दौरान नीति के बारे विस्तृत चर्चा करते हुए उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रो गिरिश्वर मिश्र, पूर्व कुलपति, महत्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं स्थापित करते हुए अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा में मौलिक शोध एवं अध्यापन द्वारा छात्रों में सर्जनात्मकता विकसित करने पर विशेष जोर दिया, इसी के साथ प्रो विशाल सूद, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला द्वारा तकनीकी सत्र में व्याख्यान देते हुए अध्यापक शिक्षण तकनीकों को सभी संकायों के पाठ्यक्रमों में सम्मलित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया साथ ही अध्यापक शिक्षण तकनीकों को पी एच डी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम में जोड़ने को आवश्यक बताया| दुसरे दिन नागपुर विश्वविद्यालय से विज्ञान संकायध्यक्ष प्रो गोवेर्धन एस खाडेकर, जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रो देवेन्द्र धुस्सिया तथा बी बी सी से प्रो सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सी बी सी एस प्रणाली सहित विभिन्न आयामों पर विस्तृत विचार विमर्श किया| कोर्स तीसरे दिन आयोजन प्रभारी प्रो अवनीश कुमार, सी सी एस विश्वविद्यालय, मेरठ से कला संकायध्यक्ष प्रो नवीन चंद्र लोहानी, आई यू ए सी के निदेशक तथा पूर्व कुलपति अविनाश चंद्र पांडेय द्वारा शिक्षा नीति के क्रियान्वन पर विस्तृत विमर्श किया गया| चतुर्थ दिवस में अति महत्वपूर्ण विशेषज्ञों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रो गोविन्द प्रसाद शर्मा तथा पूर्व कुलपति इंजीनियर प्रो नरेन्द्र एस चौधरी द्वारा व्याख्यान दिए गए, प्रो शर्मा ने शिक्षा नीति के विजिन एवं संकल्पना की सारगर्भित व्याख्या की तथा प्रो चौधरी ने शिक्षा नीति के इंजीनियरिंग एवं प्रोद्योगिकी पक्ष पर विस्तृत प्रकाश डाला| कार्यक्रम प्रभारी प्रो अवनीश कुमार एवं सह प्रभारी डॉ सुनील त्रिवेदी द्वारा प्रतिभागियों से फीडबैक एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा की| सात दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के पांचवें दिन

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के सम्मानित कुलपति प्रो संजीव कुमार शर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रो तृप्ता त्रिवेदी, गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इसी कोर्स के प्रतिभागी डॉ सुशील उपाध्याय द्वारा शिक्षा नीति के अनेक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रो शर्मा ने शिक्षा में सर्वेदनशीलता, प्रक्रिया सरलीकरण तथा विद्यार्थी, शिक्षक व प्रशासक की स्वात्यता पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। छटवें दिन अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रो राम देव भारद्वाज, हंसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रो रमा, महाराष्ट्र जलगाँव से प्रो सुनील बाबू कुलकर्णी तथा नागपूर विश्वविद्यालय से डॉ कल्पना पांडेय द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत भारतीय ज्ञान परंपरा में से कौशल विकास एवं रोजगार उत्पन्न करने पर जोर दिया। सातवें और अंतिम दिन दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रो निरंजन कुमार, शिक्षा मंत्री के अकादमिक सलाहकार डॉ देवेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बनी समिति की पूर्व सदस्या सचिव एवं कोचीन विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से संबद्ध प्रो शकीला टी शमसु ने बहुत विस्तार से शिक्षा नीति क्रियान्वन पर विचार विमर्श किया। प्रो शमसु ने विश्वविद्यालयों में मुल्यांकन एवं विकास परियोजना टास्कफोर्स समिति बनाकर अपने अपने विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय ज्ञान परम्परा पर स्वयं रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ समीर कोशिक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली द्वारा फीडबैक प्रस्तुत किया गया। प्रो. जे. वी. वैशमपायन, कुलपति, के अस्वस्थ होने के कारण प्रो. वी के सहगल, कार्यवाहक कुलपति, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय उद्घाटन एवम समापन सत्रो की अध्यक्षता की। इसके तकनीको सत्रों की अध्यक्षता बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय के संकायध्यक्षों एवं आचार्यों द्वारा की गई। रिफ्रेशर कोर्स के प्रभारी एवं सयोंजक प्रो अवनीश कुमार तथा सह सयोंजक डॉ सुनील त्रिवेदी रहे तथा इस अवसर पर डॉ ऋषि सक्सेना, डॉ सोनम सेठ, डॉ प्रभाकर खरे, डॉ रामजी स्वर्णकार, डॉ अनु सिंगला, डॉ गरिमा शर्मा आदि द्वारा फीडबैक प्रस्तुत किया गया।

# कार्यक्रम विवरण

*उद्घाटन सत्र :* दिनांक 17-03-2021 (अपराह्न 11:00-12:00 बजे)

Inaugural Session: Date 17-03-2021 (11:00 AM – 12:00 Noon)

| | | | |
|---|---|---|---|
| सयोंजक एवं कार्यक्रम प्रभारी का संबोधन | | प्रो. अवनीश कुमार,आचार्य गणितीय विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | प्रात: 11:00 बजे |
| स्वागत संबोधन | | प्रो. वी के सहगल, कार्यवाहक कुलपति बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | प्रात: 11:15 बजे |
| मुख्य अतिथि / मुख्य वक्ता उद्बोधन | | प्रो गिरिश्वर मिश्र, पूर्व कुलपति महत्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा | प्रात: 11:30 बजे |
| अध्यक्षीय संबोधन | | प्रो. जे. वी. वैशमपायम कुलपति, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | दोपहर 12:45 बजे |
| सत्र संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन | | डॉ सुनील त्रिवेदी, सह सयोंजक, सहा आचार्य, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | दोपहर 12.55 बजे |

*समापन सत्र :* दिनांक 23-03-2021 (अपराह्न 12:30-03:00 बजे)

Inaugural Session: Date 23-03-2021 (11:00 AM – 12:00 Noon)

## समापन एवं तकनीकी सत्र कार्यक्रम विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| सयोंजक एवं कार्यक्रम प्रभारी का संबोधन | | प्रो. अवनीश कुमार,आचार्य<br>गणितीय विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग<br>बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | 12:30 PM |
| स्वागत संबोधन | | प्रो. वी के सहगल, कार्यवाहक कुलपति<br>बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | 12:40PM |
| मुख्य वक्ता संबोधन | | डॉ शकीला टी शमसु<br>पूर्व सदस्य सचिव, रष्ट्रीय शिक्षा नीति | 01:00 PM - 02:00 PM |
| मुख्य अथिति संबोधन | | डॉ देवेन्द्र सिंह<br>अकादमिक सलाहकार, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार | 02:00 – 03:00 PM |
| अध्यक्षीय संबोधन | | प्रो. जे. वी. वैशमपायम<br>कुलपति, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | 03:00 PM |
| सत्र संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन | | डॉ सुनील त्रिवेदी, सह सयोंजक, सहा आचार्य, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी | |
| | | राष्ट्रगान | |

●●●●●●

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2021

A.R(Acad)
19.8.21

1– कुलपति
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप के लिये शिक्षण संस्थान संम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा संम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठयक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एव स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उन्नित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इर्न्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य/थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

## Format for syllabus development of Skill development course

| | |
|---|---|
| Title of course- | |
| Nodal Department of HEI to run course | |
| Broad Area/Sector- | |
| Sub Sector- | |
| Nature of course - Independent / Progressive | |
| Name of suggestive Sector Skill Council | |
| Aliened NSQF level | |
| Expected fees of the course –Free/Paid | |
| Stipend to student expected from industry | |
| Number of Seats-..... | Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical) |
| Course Code-..... | |
| Max Marks...100..... Minimum Marks..... | |
| Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT | |
| Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.) | |

**Syllabus**

| Unit | Topics | General/ Skill component | Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training | No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit) | No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | | | | |
| II | | | | | |
| III | | | | | |
| IV | | | | | |
| V | | | | | |
| VI | | | | | |

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject ..... in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)

149

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–1065 / सत्तर–3–2021–18(26) / 2011

A.R (Acad)

22.4.21

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2021

**विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240 / सत्तर–3–2020 दिनांक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यक्रमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

तद्क्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मलित किया गया। फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठ्यक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे।

| कला एवं मानविकी विषय | विज्ञान विषय | भाषा विषय | अनिवार्य को–करीकुलर विषय | अन्य संकाय |
|---|---|---|---|---|
| एंथ्रोपोलोजी | कृषि | संस्कृत | खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता | बी0कॉम |
| रक्षा एवं संराधनात्मक अध्ययन | वनस्पति विज्ञान | हिन्दी | प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | बी0एड0 |
| अर्थशास्त्र | रसायन शास्त्र | अंग्रेजी | शारीरिक शिक्षा एवं योग | बी0बी0ए0 |
| शिक्षाशास्त्र | कम्प्यूटर विज्ञान | उर्दू | मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन | बी0एल0आई0एस0 |
| ललित कला | भूगर्भ शास्त्र | | विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस | |
| भूगोल | गणित | | संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| इतिहास (प्राचीन) | गणित विज्ञान | | | |
| इतिहास(आधुनिक) | सांख्यिकी | | | |
| गृह विज्ञान | जन्तु विज्ञान | | | |
| विधि | | | | |
| दर्शनशास्त्र | | | | |
| शारीरिक शिक्षा | | | | |
| राजनीति शास्त्र | | | | |
| मनोविज्ञान | | | | |
| समाजशास्त्र | | | | |
| सामाजिक कार्य | | | | |

3– शासनादेश संख्या–438/सत्तर–3–2021(16)26/2011, दिनांक 08–02–2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठ्यक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानांतरण, अनिवार्य को–करीकुलर एवं विषय चुनाव एवं उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4– अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021–22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन किया जा सके–

- न्यूनतम समान पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठ्यक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठ्यक्रम भी समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

**विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–**

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठ्यक्रम लेना होगा।

**किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–**

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर ) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर ) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

**डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–**

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–**

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू०जी०सी०/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे । यू०जी०सी० के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

**परीक्षा व्यवस्था –**

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 184 क्रेडिट होंगे, जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठें वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

( मोनिका एस.गर्ग )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

( अब्दुल समद )
विशेष सचिव।

683

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.
लखनऊः दिनांक–26 अगस्त, 2021

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

**विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के सम्बन्ध में।**

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों का समयबद्ध, सतत एवं पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे उल्लिखित किए जा रहे है। ज्ञातव्य हो कि ये सिद्धान्त मात्र सांकेतिक/परिचायक (indicative) हैं। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कृपया इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर Academic Council, Executive Council आदि में गहन विचार–विमर्श करके छात्र मूल्यांकन के मानक और विधियाँ निर्धारित कर लें। Semester-end exam के अतिरिक्त continuous and comprehensive evaluation अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। किस मानक (parameter) को कितनी weightage दी जानी चाहिए, उसका आंकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया एवं व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, इन बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

2. छात्र मूल्यांकन सतत, व्यापक एवं समग्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन निम्न मानकों पर किया जा सकता हैः–

i. शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic assessment)
ii. कौशल मूल्यांकन (Skill assessment)
iii. शारीरिक मूल्यांकन (Physical assessment)
iv. व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality assessment)
v. बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular assessment)
vi. स्वमूल्यांकन (Self assessment)

(i) **शैक्षणिक मूल्यांकनः–**

**(क) सतत आंतरिक मूल्यांकनः (Continuous Internal Assessment)**– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो। उदाहरण के लिए project, seminar, role play, quiz, puzzle, test, pratical, survey, book review, student

parliament, screenplay, essay, exhibition, fair, educational, visit आदि कार्यों को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति (विशेषकर राष्ट्रीय पर्वों व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर) एवं विभिन्न सामाजिक कार्यों में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं।

**(ख) बाहरी मूल्यांकनः–** बाहरी मूल्यांकन का कार्य सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

**(ii) <u>कौशल मूल्यांकन :–</u>**

कौशल से सम्बन्धित विषय का मूल्यांकन सम्बन्धित उद्योग तथा उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। चूँकि कौशल विकास में ट्रेनिंग का अधिक महत्व है, अतः ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्य को 60% तथा परीक्षा (theoretical knowledge) को 40% के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

**(क) उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन–** इसमें कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, उद्योग में ट्रेनिंग, internship, apprenticeship, field work आदि कार्य कराए जा सकते है।

**(ख) सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन–** परीक्षा का कार्य सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाएगा जिसमें वे लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते है।

महाविद्यालय विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके कौशल विकास उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकते है।

**(iii) <u>व्यक्तित्व मूल्यांकन :–</u>**

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा तथा निम्न कार्यों के द्वारा व्यक्तित्व विकास तथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता हैः– भाषा (language) एवं सॉफ्ट स्किल (soft- skill), grooming, mock interview, social skill, राष्ट्रीय पर्वों एवं विशिष्ट दिवसों में प्रतिभागिता, आदि।

विद्यार्थियो द्वारा सांस्कृतिक, अकादमिक, रचनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों में से किसी एक में अपनी रूचि अनुसार कार्य किया जा सकता है।

**(iv) <u>शारीरिक मूल्यांकनः–</u>**

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए शारीरिक क्षमता विकसित करने की दिशा में समय समय पर इसका मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता हैः– खेल गतिविधियां, योग, स्वास्थ्य परीक्षण (health checkups), मनोवैज्ञानिक क्षमता, आदि।

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा किसी खेल का चयन किया जा सकता है तथा संस्थान द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

**(v) <u>बहिर्मुखी मूल्यांकनः–</u>**

शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की co-curricular एवं extra-curricular गतिविधियां लगातार संचालित होती रहती है, जिससे छात्र की प्रतिभा का पता लगता

है। शिक्षा संस्थानों को ऐसी सभी extra-curricular गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो, तो इनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है।

(VI) <u>स्वमूल्यांकन :–</u>

छात्रों का आत्मबल बढाने के लिए उन्हें स्व मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि यह स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामाग्री (auto-instructional material) के अन्तर्गत हो सके, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, और छात्र को भी अपने सही स्तर की जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब छात्र कोई ई–कन्टेन्ट ऑनलाइन सामग्री पढ़ता है, तो उसके बाद उसे सम्बन्धित ई–कंटेन्ट के चार–पाँच प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी वह अगला ई–कंटेन्ट तथा चैप्टर पढ़ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। मूल्यांकन के उपरोक्त पहलुओं को indicative (not exhaustive) मानते हुए अनुरोध है कि छात्र मूल्यांकन हेतु मानक, उनके वेटेज, उनके आकलन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय और छात्रों को समय से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाय ताकि पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

भवदीया,

26/8

**मोनिका एस0 गर्ग**
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–2058 / सत्तर–3–2021 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

**(श्रवण कुमार सिंह)**
विशेष सचिव।

स० कु० स० (एन०)
28.6.21

विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें । यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें।

शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)" पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. <u>न्यूनतम समान पाठ्यक्रम</u>**(Minimum Common Syllabus)**

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **<u>क्षेत्र (Scope)-</u>**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं–

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम **(Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय **(Faculty)**-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनाँक 15–06–2021 के अनुसार होगी ।

3.2.3 भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.2.4 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.3 विषय **(Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र **(Course/Paper)**- यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. पाठ्यक्रम/कार्यक्रमलागू करने की समय सारणी

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इनेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह

संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 **बहुविषयक्ता** (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये **स्नातक** स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।

5.9 स्नातकोत्तर स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा ।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर/इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिवपेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

## 6. कौशल विकास पाठयक्रम(Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरस) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास पाठयक्रम (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

## 7. सह–पाठयक्रम (Co-Curicullar Courses)

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरस) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–पाठ्यक्रमों के सिलेबस उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 इन सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी. पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

## 8. शोध परियोजना(Research Project)

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी.डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षस्टमवर्ष के मुख्य विषय, से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थीवर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजनाका संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना केप्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

## 9. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभारके बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।
एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. <u>उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण</u>

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. <u>प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी ( **Time table** )</u>

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)"पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
25.06.2021

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

| | | Subject I | Subject II | Subject III | Subject IV | Vocational | Co-Curricular | Industrial Training/ Survey/ **Research Project** | **{Minimum Credits}** For the year | **{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Major | Major | Major | Minor Elective | Minor | Minor | Major | | |
| | | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 3 Credits | | 4 Credits | | |
| Year | Sem. | Own Faculty | Own Faculty | Own/ Other Faculty | OtherSubject/ Faculty | Vocational/ Skill Development Course | Co-CurricularCourse (Qualifying) | Inter/Intra Faculty related to main Subject | | |
| 1 | I | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 46 | {46} Certificate in Faculty |
| | II | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | | |
| 2 | III | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (4/5/6) | 1 | 1 | | 46 | {92} Diploma in Faculty |
| | IV | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 | 1 | | | |
| 3 | V | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | 40 | {132} Bachelor in Faculty |
| | VI | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | | |
| 4 | VII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | 1 (4/5/6) | | | 1 (4) | 52 | {184} Bachelor (Research) in Faculty |
| | VIII | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 5 | IX | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | 48 | {232} Master in Faculty |
| | X | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 6 | XI | 2 (6) | 1 Research (4)Methodology | | | | | 1 (Qualifying) | 16 | {248} PGDR in Subject |
| 6,7,8 | XII-XVI | | | | | | | Ph. D. Thesis | | Ph.D. in Subject |

**Note:Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical**

तार : विश्वविद्यालय
Gram : university

टेलीफोन : कार्या0 : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510- : 2320761

# बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
# BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

पत्रांकः- बु0वि0 / एके0 / 2021 / 5876 दिनांकः- 30/1/2021

## सूचना

कृपया अवगत कराना है कि विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 209 / सत्तर-3-2021-16(26) / 2011 दिनांक 21 जनवरी 2021 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उददेश्यों के अनुरूप स्नातक स्तर के 31 विषयों पर 06 अनिवार्य विषयों के पाठ्यक्रम तैयार कर उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपनी बेवसाइट (http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020) पर उपलब्ध करा दिये गये है।

अतः पाठ्यक्रम को अपने विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारकों को उक्त पाठ्यक्रमों पर फीडबैक / सुझाव दिये जाने हेतु माननीय कुलपति जी ने तीन सदस्यीय समिति गठित करने की कृपा की है। समिति के सदस्य निम्नवत् हैः-

1. प्रो0 एस0पी0सिंह – आचार्य, भूगर्भ विज्ञान विभाग
2. प्रो0 सुनील कांबिया – आचार्य, होटल प्रबन्धन विभाग
3. प्रो0 पूनम पुरी – आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग

कृपया उक्त सूचना से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

30-1-21
(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव,कुलपति माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव